[Shri Nath Pai]

the floods is a very serious matter on which the House should have the opportunity of a full discussion. We can do that day after tomorrow.

MR. SPEAKER : That is a different matter. I have no objection. But we will try to finish it because day after tomorrow something more serious may crop up. Therefore, to the extent possible, we shall clear the agenda of today by giving half an hour to each item. Tomorrow something is already on the agenda.

18.23 hrs.

RE : COMMON CIVIL CODE*

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : देश के सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता या कामन सिविल कोड बनाने के सम्बन्ध में आधे घंटे की जिस चर्चा को मैं उठा रहा हूं वह चर्चा उस समय भी उठी थी जिस समय भारत का संविधान तैयार हो रहा था। उस समय कुछ लोग इस प्रकार के थे संविधान सभा में जिन्होंने इस बात का विरोध किया था कि संसद को इस प्रकार की समान आचार संहिता सभी देश के नागरिकों के लिए बनाने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन उस समय के जो न्याय शास्त्री थे जिनमें प्रमुख डा० अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, श्री के० एम० मुंशी और स्वयं उस समय के विधि मंत्री डा० अमबेदकर थे, इस बात का समर्थन उन्होंने किया कि संसद को इस विषय में पूर्ण अधिकार है। उसी आधार पर इस संसद ने हिन्दू कोड बिल के सम्बन्ध में भी आगे चल कर विचार किया गया। इस प्रश्न को लेकर जिस पर संविधान सभा में एक लम्बी चर्चा चली थी, इस सदन में भी समय-समय पर कुछ प्रश्न उठते रहे हैं जिनका उत्तर विधि मंत्रालय की ओर से जो आया उसमें और अब जिस प्रश्न पर मैं चर्चा उठा रहा हूं उसमें एक बहुत बड़ा अन्तर है।

[SHRI S. M. JOSHI in the Chair]

सब से पहले एक प्रश्न इसी प्रकार का आया था 17-5-1964 को जिसका उत्तर उस समय के उप विधि मंत्री श्री विभुधेन्द्र मिश्र ने दिया था और उन्होंने अपने उत्तर में कहा था कि ला कमिशन की पंद्रहवीं और बाईसवीं रिपोर्ट के आधार पर जो उन्होंने हमको सुझाव दिया है कि ईसाइयों के विवाह कानून के सम्बन्ध में संसद को परिवर्तन के लिए विधेयक लाना चाहिये। इसी प्रकार के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए 17 मई 1967 को उस समय के विधि मंत्री श्री पट्टाभि रमन नें यह कहा कि यह हमारी हार्दिक इच्छा है कि एक समान संहिता देश के सभी नागरिकों पर जो लागू हो उस प्रकार का एक विधेयक हम इस संसद में लायें लेकिन उसके लिए अभी कुछ समय की अपेक्षा है। फिर उसके बाद 25 जुलाई 1967 को उप-विधि मंत्री श्री डी० आर० चव्हाण नें एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि हमनें इस संबंध में प्रांतीय सरकारों से कुछ परामर्श मांगें हैं कि विवाह और उत्तराधिकार के बारे में सबके लिए एक समान कानून बनाने के बारे में उनकी क्या सम्मति है ? उसमें मैसूर, आसाम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, दादरा नगर हवेली, इनकी इसके पक्ष में सम्मति आई और काश्मीर, नागा लैण्ड, राजस्थान और केरल विपक्ष में थे। महाराष्ट्र का कहना यह है कि एक कमीशन इस काम के लिए नियुक्त किया जाय। उड़ीसा सरकार भी इससे सहमत थी लेकिन उसका कहना था कि अभी इसे बहुत शीघ्रता न की जाय। इस समय के जो विधि मंत्री हैं श्री गोविन्द मेनन उन्होंने स्वयं 11 जुलाई 1967 को इसी प्रकार के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए यह कहा कि इस संबंध में मुस्लिम महिलाओं के विचार जानने के बाद संसद में आवश्यक कानून पेश करेंगे। पहले उनकी राय जान लें। भारत सरकार नें पहले इस संबंध में एक समिति गठित करने का भी निश्चय किया था लेकिन सभापति जी कुछ राजनैतिक

*Half-An-Hour Discussion.

दबावों के कारण वह समिति गठित होने के पहले ही वह विचार स्थगित कर दिया गया ।

आज मैं जो बात कहना चाहता हूं वह यह है कि अब जो उत्तर विधि मंत्री ने दिया है वह पहले विधि-मंत्रियों के और स्वयं वर्तमान विधि-मंत्री के उत्तर से सर्वथा असंगत उत्तर है। इस उत्तर में वह कहते हैं कि इस प्रकार का कानून न बनाने का कारण यह है कि विवाह और उत्तराधिकार आदि के बारे में भारत के सभी नागरिकों पर एक समान विधि संहिता लागू करने के लिये भारत के नागरिकों के सभी वर्गों में मतैक्य नहीं है। इसलिए इस प्रकार का कानून नहीं बनाया जा सकता। सभापति जी ! संविधान सभा के एक प्रमुख न्याय-शास्त्री श्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर के शब्दों को यहां मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। जब उनके सामने यह प्रश्न आया तो उन्होंने उस समय जो लोग इसका विरोध कर रहे थे मिस्टर पोकर और मिस्टर हुसेन इमाम आदि उनको उत्तर देते हुए यह कहा था। यह संविधान सभा की कार्यवाही का हिन्दी अनुवाद है जिससे मैं पढ़ कर सुना रहा हूं :—

"भारत की भावी संसद् के लिए ऐसे कानून बनाने का कोई निषेध नहीं है। अतएव, अभिप्राय एकविध व्यवहार-संहिता बनाने का है। यूरोप के विभिन्न देशों में मुसलमान हैं, हिन्दू हैं, कैथोलिक हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं। मैं मिस्टर पोकर से जानना चाहता हूं कि क्या फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में और यूरोप के सारे देशों में विभिन्न निजी कानून स्थायी रूप से लागू हैं ? क्या विभिन्न राज्यों में उत्तराधिकार के कानूनों को अनियमित तथा एकविध नहीं किया गया है ? उन्होंने तो मुस्लिम न्याय-शास्त्र का सविस्तार अध्ययन किया होगा और पता लगाया होगा कि इन देशों में न्याय की एक ही प्रणाली है या विभिन्न प्रणालियां हैं।

वहां के लोगों को भी छोड़ो। आज यदि देश के अन्य भागों के लोगों के पास यूरोप महाद्वीप में सम्पत्ति हो जहां जर्मन व्यवहार संहिता अथवा फ्रांसीसी व्यवहार संहिता लागू हो तो उन लोगों पर कई विषयों में उस स्थान का कानून लागू होता है। अतएव यह कहना गलत है कि हम धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं। मुस्लिम-कानून के अंतर्गत विवाह एक व्यवहार संविदा है, जैसा कि हिन्दू कानून में नहीं है। मुस्लिम न्याय शास्त्र के अनुसार विवाह की कल्पना में पवित्रता का आशय नहीं आता, यद्यपि इस संविद के प्रसंग में कुरान तथा बाद के न्यायशास्त्रियों के कथन लागू होते हैं। अतएव धर्म के जोखम में होने का कोई प्रश्न नहीं है।"

यह अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर का संविधान सभा में कथन था। इसीसे आप अनुमान लगा सकते हैं कि स्थिति क्या है। दूसरी बात यह है कि जहां तक धर्म का संबंध है धर्म और रीति-रिवाज में बड़ा अंतर होता है। धर्म में कुछ इस प्रकार के सिद्धांत हैं कि जिनको आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन रीति-रिवाज इस प्रकार के होते हैं कि जिसके अंदर संसद को परिवर्तन करने का अधिकार होता है। यह केवल हमारे ही देश में नहीं, बल्कि मुस्लिम देशों के कुछ उदाहरण मैं देना चाहता हूं जिन्होंने इस प्रकार के रीति-रिवाजों में परिवर्तन किए। लेबनान में 1932 में, सीरिया में 1953 में, ट्यूनिशिया में 1956 में, ईराक में 1959 में बहु-विवाह के ऊपर उन्होंनें प्रतिबन्ध लगाये। अभी पिछले 1 सितम्बर 1967 को ईरान की संसद ने एक कानून पास किया है जिसमें बहु-विवाह प्रथा पर रोक लगानें के साथ साथ सपत्नी प्रथा जो वहां थी, यानी जो रखैल रखनें की आदत थी, उस पर भी प्रतिबन्ध लगाया है। उसमें यह भी उन्होंनें व्यवस्था रखी है कि केवल इच्छा मात्र ही संबंध विच्छेद का कारण नहीं हो सकता। ईजिप्ट के अंदर बहुविवाह पर रोक तो नहीं लगाई लेकिन दूसरा विवाह करने के

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

पहले विवाह करने वाले को यह सिद्ध करना पड़ता है कि मैं इसका बोझ उठाने की क्षमता अपने में रखता हूं। लेकिन सभापति जी! इन सब से अधिक निकट का और प्रामाणिक उदाहरण जो हमारे लिए आदर्श हो सकता है, वह है पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने 1961 में फेमिली लाज आर्डिनेंस नाम से एक अधिनियम बनाया। इस अधिनियम के द्वारा पाकिस्तान ने यह नियम बनाया कि कोई भी व्यक्ति अगर एक के बाद दूसरा विवाह करना चाहेगा तो पहली पत्नी और होने वाली पत्नी दोनों की लिखित सहमति देनी पड़ेगी। और इस लिखित सहमति पर निर्णय के लिए एक मध्यस्थ परिषद् बनेगी जिसमें पहली पत्नी का एक प्रतिनिधि होगा और एक होने वाली पत्नी का प्रतिनिधि होगा तथा एक सरकारी प्रतिनिधि होगा। वह अगर इस निश्चय पर पहुंचे कि दूसरा विवाह करने की जरूरत है तब दूसरा विवाह करने का अधिकार होगा। पाकिस्तान के इस अधिनियम के हिसाब से वह सारे का सारा निर्णय लिपिबद्ध होगा और उस निर्णय को पाकिस्तान के किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। न्यायालय भी उसको बदल नहीं सकता। इसी नियम के अंतर्गत यह चीज आती है कि कभी अगर वह संबंध विच्छेद करना चाहेगा तो भविष्य के लिए सारे जीवन-निर्वाह की व्यवस्था करनी होगी और दहेज की सारी सम्पत्ति उसे लौटानी होगी। ऐसा पाकिस्तान ने भी अधिनियम बनाया है। ऐसी स्थिति में हम यह सोचें कि हमारे यहां इसी प्रकार की सब के लिये समान संहिता नहीं बन सकती, जब कि पड़ौसी देश इस प्रकार के सुधार रीति-रिवाजों में कर रहे हैं, कहां तक ठीक है। हम रीति-रिवाजों के संबंध में इतने पिछड़े रह जायें, यह उचित नहीं है। जिस देश के संविधान में सेक्यूलर शब्द लिखा हुआ है, वहां हम यह अपेक्षित परिवर्तन नहीं कर सकते, यह बात कुछ समझ में आने वाली नहीं है। सभापति जी, आपको सुन कर आश्चर्य होगा कि अभी बम्बई में सेकुलर फोरम का अधिवेशन हुआ था। पहले उप-विधि-मंत्री श्री डी० आर० चव्हाण ने पीछे संसद में बताया कि उसके सामने मुस्लिम महिलाओं ने प्रदर्शन किया बहु-विवाह के खिलाफ। प्रदर्शन करके यह मांग की कि यह प्रथा समाप्त होनी चाहिए। उसी प्रश्न के उत्तर में श्री डी० आर० चव्हाण ने यह भी बताया कि कलकत्ते के कुछ मुसलमानों की ओर से प्रधान मंत्री को यह तार आया कि इस प्रकार के बहु-विवाहों पर प्रतिबन्ध लगना चाहिए।

पर अब यह सरकार डरती क्यों है? सब से पहला कारण यह है कि सरकार यह समझती है कि कुछ जो हमारे रिजर्व वोट हैं, इस प्रकार के रीति-रिवाजों में परिवर्तन करने से निर्वाचनों में वह वोट छिन जायेंगे। दूसरा कारण वह यह समझते हैं कि पाकिस्तान को हमारे खिलाफ प्रोपेगैंडे का अवसर मिल जायगा। कोई यह कहे कि इस प्रकार के कानूनों में हाथ डालने का या कानून बनाने का काम पहली बार भारत में किया जा रहा है सो बात भी नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया, संसद को प्रदत्त अधिकारों द्वारा अगर हिन्दुओं के उत्तराधिकार और तलाक व्यवस्था संबंधी रिवाजों में यह संसद परिवर्तन कर सकती है तो कोई कारण नहीं कि देश में दूसरे जो इसी प्रकार के वर्ग हैं उनके लिए इस प्रकार का कानून क्यों संसद न बनाए? स्वतंत्र भारत की संसद ही नहीं सबसे पहले भारतवर्ष में शरियत के खिलाफ अगर किसी नें परिवर्तन की आवाज उठाई तो वह पहला मुसलमान बादशाह था। जिसनें मुसलमानी सल्तनत की नींव डाली थी. उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। उसने सब से पहले ऐसा परिवर्तन किया। जब शरियत के खिलाफ उसने निर्णय दिया तो काजी लोगों ने उसके खिलाफ फतवा दिया। तब अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि अल्लाह की अदालत में जब मैं पहुंचूंगा, अगर मैंने सद्भावना से काम नहीं किया है तो उस अदालत में मुझे गुनहगार ठहराया जायगा। अगर ऐसा हुआ तो जो सजा मुझे मिलेगी वह भोगने के लिए मैं तैयार रहूंगा। लेकिन

मेरा निर्णय सद्भावना के साथ है, उसमें मैं किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता। जब संविधान सभा में यह प्रश्न उठा कि मुस्लिम रिवाजों में परिवर्तन नहीं हो सकता तो सभापति जी ! उस समय के विधि मंत्री डा० अम्बेडकर ने उसको चुनौती दी और कहा कि ऐसा परिवर्तन तो जब सेंट्रल असेम्बली हिन्दुस्तान में थी तब एक बार 1935 में हुआ, दूसरी बार हुआ 1937 में, और तीसरी बार 1939 में सेंट्रल असेम्बली ने इस प्रकार का परिवर्तन किया। यह कोई नई बात नहीं कि इस प्रकार के कानून में परिवर्तन करने के लिए हम पहली बार सोच रहे हैं। इसलिए यह कहना कि संसद को अधिकार नहीं है, यह बात गलत है।

अब इससे हानियां क्या हो रही हैं ? सभापति जी, मैं अपने वक्तव्य को उपसंहार की ओर ले जाते हुए केवल दो तीन बातों की विशेष चर्चा करना चाहता हूं। सब से बड़ी हानि जिसके बारे में पहले विधि मंत्री पट्टाभिरमन ने एक बार उत्तर देते हुए संसद में कहा था वह यह है कि हमारे देश में इस प्रकार का कानून न होने से जिनके धर्म में बहु-विवाह की प्रथा नहीं है वह थोड़े समय के लिए धर्म-परिवर्तन कर लेते हैं और दूसरा विवाह कर लेते हैं। दूसरा विवाह करने के बाद फिर अपने धर्म में आ जाते हैं। डा० पट्टाभिरमन ने इसी संसद में यह कहा कि यह बड़े दुख के साथ हमको सदन को सूचित करना पड़ रहा है। दूसरी हानि यह हो रही है कि हमारे देश में जो जनसंख्या का जो बैलेंस है वह बिगड़ गया है। पिछले 1961 की जनगणना के आंकड़े कुछ मैं आपके सामने रखता हूं। कुल मिला कर हमारे देश में जो प्रतिशत वृद्धि हुई है वह 21.5 है। लगभग 21 प्रतिशत वृद्धि समझ लीजिए। इसमें हिन्दुओं का प्रतिशत बढ़ा है 20 प्रतिशत और गैर-हिन्दुओं का प्रतिशत जो संसद में एक ही प्रश्न के उत्तर में बताया गया वह बढ़ा है 30.3 प्रतिशत। मैं .3 को भी छोड़ता हूं। 30 प्रतिशत वृद्धि इस प्रकार उनकी हुई है। अगर यही अनुपात बढ़ता चला गया और सरकार ने देश के लिए कोई समान आचार-संहिता न बनाई तो मैं गणित का कोई बहुत बड़ा कुशल विद्यार्थी तो नहीं रहा हूं। लेकिन थोड़ा-बहुत जो हिसाब जोड़ सकता हूं वह यह है कि आज से 150 साल के बाद हिन्दुओं और गैरहिन्दुओं का यह अनुपात समाप्त हो जायगा। फिर उसी प्रकार की स्थिति आने लगेगी जैसा 1947 में हुई थी।

इस लिये मेरा विधि मंत्री से कहना यह है कि जब संविधान सभा में न्याय शास्त्रियों ने इस बात की अनुमति दे दी थी और संसद को यह अधिकार दे दिया था कि संसद को इस प्रकार के कानून बनाने का अधिकार है, तो ऐसी स्थिति में विधि मंत्री की ओर से यह उत्तर दिया जाना कि विभिन्न वर्गों में मतैक्य नहीं है, इस लिये ऐसा कानून नहीं बनाया जा सका। क्या यह संविधान निर्माताओं की भावनाओं की अवहेलना करना नहीं है ? अथवा जिस पृष्ठभूमि में संसद को यह अधिकार दिया गया था उसकी भी जानकर अवहेलना करना नहीं है।

यहां मैं विधि मंत्री से तीन बातें कहना चाहता हूं। पहली यह कि इस प्रकार की समान आचार-संहिता सभी नागरिकों के लिये बनाने के लिये उन्हें चाहिये कि एक उच्चस्तरीय समिति का निर्माण करें, जिसकी चर्चा मैंने पीछे की है कि पहले बनाने का निश्चय भी किया गया था, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण सरकार ने उस निर्णय को बदल दिया। उस उच्चस्तरीय समिति को कोई अनिश्चित अवधि न दें, बल्कि एक निश्चित अवधि दें। उसका प्रतिवेदन आने के बाद सरकार कानून बनाये। जिससे यह मालूम पड़े कि संविधान के प्रति सरकार निष्ठावान है और देश के सभी नागरिकों को समान मान कर चलती है तथा सरकार की दृष्टि में रीति रिवाजों के पालन करवाने में किसी प्रकार का कोई भेद-भाव नहीं है।

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

दूसरी बात यह कि कानून बनाने से पहले सरकार को यह चाहिये कि दूसरे देशों के इसी प्रकार के कानूनों का अध्ययन करे। विशेषकर उन देशों के कानूनों का अध्ययन करे जिन देशों ने ऐसे अपने रीति-रिवाजों में क्रान्तिकारी परिवर्तन किये हैं और उन देशों में उसके प्रति किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं हुआ है। अध्ययन के पश्चात उन कानूनों की पृष्ठभूमि में अपने कानून का प्रारूप तैयार करे।

तीसरे यह कि इस प्रश्न पर मुस्लिम महिलाओं के विचार भी लिये जाये। जैसा कि एक बार स्वयं विधि मंत्री कह चुके हैं कि पाकिस्तान में मुस्लिम महिलाओं ने विरोध किया। तुर्की में मुस्लिम महिलाओं ने विद्रोह किया, ईरान में इस प्रकार की घटनायें घटीं। इस प्रश्न की बजाय पुरुषों पर छोड़नें के महिलाओं पर छोड़ा जाय और मुस्लिम महिलाओं से इस सम्बन्ध में जानकारी ली जाय—उनकी अपनी राय क्या है? और उनकी राय है कि इस देश में ऐसा कानून बनना चाहिये, तो उस से विधि मंत्री के हाथ और मजबूत हो जायेंगे और इस प्रकार का कानून बना कर वह एक निश्चित रूप से सबल विधि मंत्री होने का परिचय देंगे।

श्री रघुबीर सिंह शास्त्री (बागपत): सभापति महोदय, हमें इस सम्बन्ध में सरकार से कई प्रश्न पूछने हैं। क्या सदस्यों को प्रश्न पूछने की आज्ञा होगी या नहीं?

श्री श्रीचंद गोयल (चण्डीगढ़): आधा घन्टे की बहस में साढ़े दस बजे से पहले जो सदस्य नाम भेज देते हैं, उनको प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाती है।

THE MINISTER OF LAW (SHRI GOVINDA MENON): Under rule 55(5):

"There shall be no formal motion before the House nor voting. The member who has given notice may make short statement and the Minister concerned shall reply shortly. Any member who has previously intimated to the Speaker may be permitted to ask a question for the purpose of further elucidating any matter of fact."

So, they may ask a question.

MR. CHAIRMAN: 6 names were balloted and 4 names were taken. They are Shri B. S. Sharma, Shri Raghubir Shastri, Shri Y. D. Sharma and Shri P. C. Verma. I will allow them to put questions.

श्री प्रेम चंद वर्मा (हमीरपुर): सभापति जी, सिर्फ उन्हीं आदमियों को प्रश्न पूछने का अवसर मिले, जिनके नाम बैलेट में आये हैं, यह तो ठीक नहीं है। जिन्होंने नाम नहीं दिये हैं, उन्होंने क्या गुनाह किया है। जब वे कोरम-मेन्टेन करते हैं, तो फिर सब लोगों को मौका मिलना चाहिये। इस लिये जो प्रश्न पूछना चाहते हैं, उनको आप इजाजत दीजिये।

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar): Sir, Shri Yajna Datt Sharma is not here. I may be allowed to put a question in his place.

MR. CHAIRMAN: I can substitute the hon. Member, Shri Kanwar Lal Gupta's name in place of Shri Yajna Datt Sharma.

श्री श्रीचन्द गोयल: सभापति महोदय, मैंने भी अपना नाम दिया था।

सभापति महोदय: अगर कोई और गैर-हाजिर हुआ, तो आपको भी मौका मिल जायगा।

श्री बेनी शंकर शर्मा (बांका): माननीय सदस्य शास्त्री जी ने अभी जो कुछ कहा है, उसका समर्थन करते हुए मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मंत्री महोदय जानते हैं कि आज पौपुलेशन एक्सप्लोजन का सवाल हमारे सामने है और हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय यह विज्ञापित करता आ रहा है—"दो या तीन बस", ऐसी स्थिति जब आप एक सम्प्रदाय को, जिसे माइनौरिटी कम्युनिटी कहते हैं, तीन-

चार विवाह करने की अनुमति देते हैं, तो यह पौपुलेशन एक्सप्लोजन को कैसे रोक सकता है।

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : सभापति जी, स्वतन्त्रता के बाद हमारे देश में जो एक संस्कृति बनी है, जिसको हम सामासिक संस्कृति कहते हैं, जिसका विकास करने हम जा रहे हैं, उसके साथ साथ हमने अपने राष्ट्र को धर्म निरपेक्षता (सेक्यूलरिज्म) के आधार पर भी खड़ा किया है और वह पार्टी जिसके हाथ में आज शासन को चलाने की बागडोर है, वह समय समय पर धर्म निरपेक्षता के सम्बन्ध में बड़े बड़े दावे करती रही है—उसको दृष्टि में रखते हुए में पूछना चाहता हूं कि एक वर्ग के लिये तो उन्होंने कानून बनाया है, लेकिन दूसरे वर्ग के लिये कानून बनाने में उनको क्या हिचकिचाहट है, तथा यह जो हमारी सामासिक संस्कृति है, हमारा सैक्यूलरिज्म का नारा है, उसमें इस बात का समन्वय कहां तक बैठता है।

साथ ही जैसा शास्त्री जी ने कहा कि किसी समय एक कमेटी बनाने का निश्चय किया गया था लेकिन बाद में कुछ राजनीतिक दबाव पड़ने के कारण वह आइडिया ड्राप कर दिया गया—तो क्या यह सत्य है कि उस समय दबाव डालने वालों में हमारे उस समय के उपराष्ट्रपति, जो आज राष्ट्रपति हैं, भी शामिल थे और उन्होंने भी इस बात के लिये जोर दिया था, जिसके कारण आपको कमेटी बनाने का निश्चय बदलना पड़ा।

श्री कंवर लाल गुप्त : सभापति महोदय, एक यूनीफार्म सिविल कोड बनाया जाय या न बनाया जाय, इसमें सरकार का कोई डिस्क्रीशन नहीं है और न ही उनको फैसला लेने की जरूरत है। क्योंकि विधान के आर्टिकल 44 में जो डाइरैक्टिव प्रिन्सिपल्ज हैं, उनमें स्पष्ट तौर से लिखा है—

> "The State shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India."

तो हमारे संविधान में यह स्पष्ट है और सरकार इससे पीछे नहीं हट सकती। आज हो क्या रहा है? यह जो वीकर सैक्शन है, खास तौर से मुसलमानों में कम्पैरेटिवली जो एक बैकवर्ड कम्यूनिटी है, विशेषकर उस कम्यूनिटी की जो महिलायें हैं, उनके अधिकारों पर कुठाराघात होता है। आप कुछ बैनिफिट्स कोडिफिकेशन कर के हिन्दुओं को तो दे रहे हैं, लेकिन अपने आपको मुसलमानों के पक्ष में कहनेवाली सरकार जो अधिकार उनको दिये जाने चाहिये, जो प्रकाश उनको दिखाया जाना चाहिये, उस सम्बन्ध में कुछ भी करना नहीं चाहती। किस लिये कि कुछ अनपढ़, बिगौटेड मुल्लाओं की इसमें मुखालिफत है। इस कम्यूनिटी का जो वीकर सैक्शन है, जो महिलायें हैं उनकी ओर ध्यान न देते हुए, कुछ अनपढ़ लोगों की तरफ सरकार का ध्यान आता है, क्योंकि इसमें पोलिटिकल कन्सीड्रेशन है।

मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार डिस्क्रीमिनेशन न करे, इस कोडिफिकेशन का लाभ देश के हर शख्स, हर व्यक्ति को मिलना चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इन 20 सालों में यूनीफार्म सिविल कोड बनाने के बारे में कौन से स्टेप उठाये हैं?

क्या यह सही है कि सरकार के अन्दर जो मुसलमान हैं, जिनका कहना मिनिस्ट्री में है, वे स्वयं इसकी मुखालिफत करते हैं? क्या उन्होंने सरकार के पास लिख कर भेजा है कि आप इस प्रकार का सिविल कोड मत बनाइये, नहीं तो मुसलमान बिगड़ जायेंगे।

तीसरे मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस के बारे में लोगों की राय जाननें के लिये क्या कदम उठायेगी ताकि यह सिविल कोड बन सके?

श्री श्रीचन्द गोयल : सभापति महोदय, अभी पिछले दिनों ईरान के सम्राट यहां पर आये हुए थे। उन के देश में भी इस प्रकार की समस्या थी। लेकिन चूंकि वह अपने देस को वर्तमान स्थिति के अनुसार मौरडरनाइज

(श्री श्रीचन्द गोयल)

करनें का विचार रखते हैं इसलिये उन्होंने उस में से एक रास्ता निकाला और उन्होंने कहा कि एक विवाह के बाद यदि उन के मुसलमान धर्म का कोई व्यक्ति दूसरा विवाह करना चाहता है तो जो उस की पहली पत्नी है वह अगर किसी कचहरी में जाकर इस बात की दरख्वास्त देती है कि बिना उस की अनुमति के दूसरा विवाह नहीं हो सकेगा तो वहां पर वह विवाह नहीं हो सकता है। इसलिए जब ईरान जैसे खालिस तौर पर मुस्लिम देश ने ऐसी व्यवस्था अपने वहां की हुई हो तो मैं नहीं समझता कि हमारे यहां उस तरह की कोई व्यवस्था क्यों नहीं की जा सकती? मैं नहीं जानता कि विधि मंत्री जी ने इस बारे में दूसरे देशों की आचार संहिता का अध्ययन किया है अथवा नहीं और यदि किया है तो फिर उस के अनुरूप वह यहां भारत के अन्दर उस प्रकार की आचार संहिता क्यों बनाने के लिये तैयार नहीं हैं?

MR. CHAIRMAN: The hon. Law Minister.

SHRI MOHSIN (Dharwar South): Sir, I have given notice of my name.

MR. CHAIRMAN: It should have come before.

SHRI MOHSIN: I had given before also. Somehow or other, it is missing.

MR. CHAIRMAN: It is very difficult. Everyday we should not make an exception to the rule. We must observe the rule. I am sorry, I cannot allow him. Now, the Law Minister.

THE MINISTER OF LAW (SHRI GOVINDA MENON): This is a matter on which there is very little difference of opinion between me and the hon. Member who has raised the discussion. I was about to quote article 44 of the Constitution, which Shri Kanwar Lal Gupta mentioned. That article says:

> "The State shall endeavour to secure for he citizens a uniform civil code throughout the territory of India."

Please mark the words "the State shall endeavour" and "throughout the territory of India". The framers of the Constitution themselves knew the complexities of the question and, therefore, they introduced this particular article in the Chapter on Directive Principles and said that the State should endeavour to have a uniform civil code throughout the territory of India. The word "territory" is also very important. It would be beyond me to say that this shall not be the ideal which the State should place before it. But, there are complexities; please listen to them. Even with respect to Hindus, who constitute about 90 per cent of the population of India, we have not been able yet to provide a uniform civil code. Please do not forget that. In 1939 started the endeavour to have the Hindu Code Acts, but there was such opposition that government, both before independence and even after independence, thought that in a measure like this some sort of consent of the community is necessary before legislation is enacted. The four Hindu Code Acts were enacted in 1955 and 1956. Even after these enactments, there are large fields, of Hindu law which remain different in different parts of India even today. For example, take the law regarding family, the law regarding partition. In Bengal even today the *Dayabaga* system prevails, whereas in other parts of India the *Mitakshara* system prevails. We have not unified that system.

SHRI NATH PAI (Rajapur): Do not forget *Marumakkattayam* system in your home State.

SHRI GOVINDA MENON: Yes, there is *Marumakkattayam* system in my home State, as reminded by Shri Nath Pai.

Then there is the *aliyasanthanam* system in the Karnataka areas. Even in the Hindu Succession Act which was passed by Parliament in 1955 it

has been provided that the rules of succession will be different for the *Marumakkathaya* and the *aliyasanthanam* people from those provided for the other sections of the Hindus. I shall be very happy if it were possible for me to bring all the Hindus under one common Code by one sweep of legislation. I stand for it.

Then there are the Christians. In the Third Lok Sabha a Bill was introduced regarding Christian marriages. I was a member of the Select Committee. The volume of protests which came from even the most enlightened among the Christians in various parts of India was simply terrifying.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Are they enlightened at all if they oppose it? Can you call them enlightened?

SHRI GOVINDA MENON: They opposed it and because they opposed it, it does not follow that they are not enlightened. I do not also concede that the conception of a secular State means that all communities in the country, all followers of all religions should follow the same law.

Now, Shri Shastri and Shri Goel referred to certain steps taken in certain Muslim countries in order to restrain the right of Muslims to have more than one wife. Suppose, those arrangements are introduced here. Then, would we be conforming to article 44 of the Constitution? So far as the Hindus and the Christians are concerned, the law says that there shall be monogamy. The rule cited as existing in Pakistan, Lebanon, Syria and other countries provides that if a Muslim, who has one wife, wants to marry another wife, certain formalities have to be gone through and consent has to be taken from certain authorities.

After the last occasion on which this question was raised, I think, by Shri Prakash Vir Shastri himself, I collected all this material—and please do not think that the Law Ministry is sitting idle over this matter—and I am studying the material so collected. Even if those provisions are introduced here, I wish to point out, still we would not be conforming to the ideal placed by the Constitution before the State to emulate. So, these are matters on which we have to go slow.

Then, I refute the suggestion that it is on account of fear on the part of Government that something is not being done. It is because in matters of social reform it is an accepted principle that a certain measure of support from the persons to be affected should be obtained. Parliament does not sit here, because there is a majoriy in Parliament of enlightened people, to impose certain things personal upon different communities in the country.

SHRI S. M. JOSHI (Poona): What efforts have you made up till now?

SHRI GOVINDA MENON: I have collected all these things.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: You have not made a beginning so far in the last 20 years.

SHRI GOVINDA MENON: Shri Shastri made a reference to the increase in population. That is a very relevant consideration. I wish to point out that this matter was examined by the Health Ministry and it has been found form the Census Report of 1961 that for every 1,000 Mohammedan males in India there are only 935 females. So, if some Mohammedan male, marries two women, it would follow that there would be as many males without wives. That is what it would come to and the population would not increase on account of polygamy. This is on account of the ratio between males and females among the Muslims. That is the finding of the Health Ministry. A statement was made by the Health Minister, Dr. Chandrasekhar, when a question was put to him on this matter the other day. Therefore the number of female who will conceive and bring forth children do not increase on account of polygamy, because of the ratio between

[Shri Govinda Menon]

men and women in that community. But certainly there is increase in population as pointed out. I fear that that increase is not on account of birth on Indian soil of more Muslims; it may be due to other reasons.

SHRI NATH PAI: Such as?

19 hrs.

SHRI GOVINDA MENON: It may be due to infiltration and other things. That is a known thing. One of the States in which there is very significant rise in population noted during the last census is Assam. That is something which the Members should note.

SHRI PRAKASH VIR SHASTRI: In Rajasthan also.

SHRI GOVINDA MENON: In Rajasthan also.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Such a large infiltration in Assam?

SHRI GOVINDA MENON: That should be the reason.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Ask Mr. Chavan if he agrees with that.

SHRI GOVINDA MENON: That should be the reason. I need not ask the Home Minister.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: This is a very serious statement that he is making.

SHRI GOVINDA MENON: There has been infiltration. You all know that. That should be the reason, not because of polygamy among Muslims or that there have been more women bringing forth children on the Indian soil. That is the position.

SHRI NATH PAI: How many women Hindus have in a thousand?

SHRI GOVINDA MENON: It is 942. Hindus also cannot afford to have polygamy. There are only 942 women for a thousand men. In India, as a whole, there are more males than females. In Kerala, there are more females than males.

SHRI RANDHIR SINGH (Rohtak): What about Sikhs?

SHRI GOVINDA MENON: Only 849. That is the position. So, all that acceptable recommendations which Mr. Prakash Vir Shastri and other friends have been making is only this that we should make an attempt, as laid down in article 44 of the Constitution, and even otherwise, to punish or prohibit polygamy altogether in our country. I completely agree with them and all attempts will be made in that direction. But it can be done, I want to repeat, only with a certain consensus of opinion among the communities concerned.

I wish to point out that among the Muslims, marriage is a contract and I am told, by the text-books, what happens in a marriage is that a Muslim woman makes an offer to the bridegroom, "I am prepared to marry you provided you give me a dower of a certain value. Are you accepting?" I am sure, as time passes on and as women become more and more free, they would not consent to marry a man who has another wife. We must move in that direction also. More of education and more of social consciousness will also put a stop to this polygamy among Muslims.

I am also told by the Health Minister that the number of persons who resort to polygamy is very insignificant now. No modern man would like to have more than one wife.

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : हिन्दुओं से मुसलमान ज्यादा माडर्न हैं आपके खयाल में?

SHRI GOVINDA MENON: Even modern men who are educated and modern women who are educated will themselves come forward and we will support them and we will help them by legislation. But we cannot do before consulting them. Therefore, this is a matter on which public opinion in the community concerned should grow.

In 1937, an Act was passed in India called the Shariat Act in which it was stated that the law governing Muslims should be as laid down in the Shariat Act. Even a writer like Mulla—he is not a Muslim Mulla—says that the Muslim law is based upon the Koranic principles. Please also don't forget that there is a section of people among the Muslims who say that this is a matter affecting religion, although I do not think it is so.

Let us, in this matter, go forward but slowly wihout creating any explosion of opinion in the country. I am completely one with the hon. Member, Shri Prakash Vir Shastri, that we should make an attempt as laid down in the Constitution to see that polygamy does not continue to exist in our country. I have nothing further to say.

श्री कुंवरलाल गुप्त : क्या किसी मिनिस्टर ने आपको लिखा है कि इस तरह का कानून नहीं बनना चाहिए ।

MR. CHAIRMAN: No question please.

SHRI GOVINDA MENON: Some Muslims have done that.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: I say, Ministers.

SHRI GOVINDA MENON: I do not know.

MR. CHAIRMAN: Not without the permission of the Chair. This is very bad.

Now we pass on to the next item.

19.05 hrs.

DISCUSSION *RE* EARTHQUAKES IN WESTERN INDIA AND RELIEF MEASURES TAKEN BY GOVERNMENT

श्री एस० एम० जोशी (पूना) : दिसम्बर की ११ तारीख को पश्चिम भारत में जो भूकम्प आया उससे सिर्फ महाराष्ट्र को ही धक्का नहीं लगा बल्कि पूरे भारत में उसको लेकर काफी चिन्ता पैदा हो गई है । जब वह खबर यहां आई तो हमारे गृह मंत्री वहां पर थे और वह भी वहां पहुंच गये । उनके वापिस आने पर हम कई लोग यहां से वहां गये । सौभाग्य से मेरे लायक दोस्त श्री नाथपाई और हमारे मित्र जो कि मिनिस्टर हैं श्री आनन्द राव चह्वाण वह भी वहां आये थे । हम लोगों नें वहां का दौरा किया और जो कुछ देखा उससे पता चला कि समाचारपत्रों में जो आता है उससे कई गुना ज्यादा वहां नुक्सान हुआ है । सौभाग्य एक बात का है कि वहां जो बांध है, बंधारा है उसकी जो मौलिक रचना है उसको अभी तक खतरा पैदा नहीं हुआ है—

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : महाराष्ट्र में ज्यादा पुण्यशाली लोग रहते हैं ।

श्री एस० एम० जोशी : इसलिये तो खतरा बार-बार आता है ।

दूसरी बात यह है कि वहां का जो पावर हाउस है जो कि भूमिगत है और वहां जो आठ जेनरेटर हैं वे बन्द तो हुए लेकिन कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ जिससे आगे चल कर बिजली न मिलनें की सम्भावना पैदा हो । यह इंजीनियर लोगों ने हमें बताया है । लेकिन जन-धन की बहुत ज्यादा हानि हुई है । करीब दो सौ आदमी मरे हैं । यह संख्या इससे ज्यादा भी हो सकती है । जो लोग बेघर हो गये हैं उनकी संख्या का अभी तक ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सका है । लेकिन मेरा अपना खयाल यह है कि डेढ़ लाख से ले कर दो लाख के करीब लोग बेघर हो गये हैं । कई गांव ऐसे हैं कि शब्दार्थ से चिराग हो गये हैं, जो मिट्टी के घर थे वे गिर गये हैं । दुख इस बात का है कि कोयनानगर जो कि रास्ते पर है उसका भी पता तब चला, जब एक पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के कर्मचारी नें कुशलता और सावधानी से काम किया । दूर-ध्वनि नहीं चलती अगर वह एक